न्यायालय, सब–जज तृतीय, डुमराँव, बक्सर।

इजराय वाद सं0–462/2013

25.11.2022

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से दिनांक–03.11.2022 एवं प्रतिवादी के प्रतिउत्तर दिनांक–07.11.2022 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। प्रस्तुत वाद के विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु नियत है इसी दरम्यान वादी को पुराने बक्से में रखा अंचलाधिकारी सिमरी का प्रमाण पत्र संख्या 6 दि0–18.07.2006 की प्रति प्राप्त हुयी है जो इस वाद के लिए अति ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उनका कहना है कि वादी ने उक्त कागजात दाखिल करने में जान बूझकर बिलंब नहीं किया है बल्कि जानकारी के अभाव में बिलंब हुयी है। अतः विद्वान अधिवक्ता उक्त दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने की प्रार्थना करते है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि वादी द्वारा दिया गया आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है। उनका कहना है कि वादी का यह सवाल विलेटेड व आफटर थॉट है तथा हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक शपथ पत्र से समर्थित नहीं है। उनका कहना है कि वादी ने अंचलाधिकारी सिमरी का जो प्रमाण पत्र प्रदर्श करने हेतु दाखिल किया है वह किस पुराने बक्से से प्राप्त हुआ । साथ ही उक्त कागजात का क्या आधार रहा तथा कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन किस विषय वस्तु को लेकर रहा यह स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने सुनवाई के दौरान वादी के दस्तावेज पर संदेह व्यक्त किया है तथा उसे जाली फरेवी तथा बनावटी बतलाया है । उनका कहना है कि जिस कलम से यह प्रमाण पत्र तैयार किया गया है उक्त कलम का जन्म 2006 में नहीं हुआ था। वादी का आवेदन वाद लंबित रखने का प्रयास मात्र है क्योंकि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी का बहस पूर्ण हो चुका है। अतः विद्वान अधिवक्ता वादी के आवेदन दिनांक–03.11.22 को खर्चा के साथ खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु नियत है तथा प्रतिवादी का बहस समाप्त हो चुका है वादी के द्वारा इस स्टेज पर जो प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है उसके संबंध में बिलंब होने का कोई विशेष कारण भी नहीं दर्शाया है साथ ही इनके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं वो लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन दिनांक–03.11.2022 को खारिज किया जाता है।

दिनांक–08.12.2022 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

Sd/-

सब–जज, तृतीय,